

466
2:25PM


उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग-5,
संख्या:-205/XX(5)/16-06(ना0सु0)/2008
देहरादून: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2016

प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीनस्थ पदों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु, गृह अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1176/XX(5)/16-06 (ना0सु0)/2008, दिनांक-22.12.2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां गृह अनुभाग-05 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

संलग्न:-यथोक्त।

✓

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

27/12/2016
20061 Dact

उत्तराखण्ड सरकार

गृह अनुभाग-5

संख्या:-1176/XX(5)/16-06(ना0सु0)/2008

देहरादून: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

अधिसूचनाप्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ
सेवा की प्राप्ति
परिभाषाएं

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, नागरिक सुरक्षा अभिप्रेत है;
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;
(ग) संविधान से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ) "आयोग" से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है ;

परन्तु यह कि-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी; पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे।

(I) Male Candidates:	Hill Regions	Scheduled Tribes	Other Candidates
	Cms.	Cms.	Cms.
(1) Height	160	157.5	165
(2) Chest (Unexpanded)	76.3	76.3	78.8
Chest (Expanded)	81.3	81.3	83.8
(II) Female Candidates:			
(1) Height	147	147	152

PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine and intimate to the subordinate service selection commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, under Rule 6.

Procedure of direct recruitment

15. Uttarakhand (Public Service Commission of the procedure outside the purview) Group 'C' of the rules, 2008 and direct recruitment in this post, of procedure will be through the subordinate Service Selection Commission.

Procedure for recruitment by promotion

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, by the departmental selection committee constituted under (for the post outside the purview of public service commission) (second amendment) rules 2012. Selection committee thus constituted will have the following members:

- (1) Head of office/Appointing Authority - Chairman
- (2) Additional Head of office/Equivalent officer - Member
- (3) Two gazetted officers nominated by the appointing authority who have supervisory powers over these posts - Member

Combined Selection List

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such a manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the persons appointed by promotion

Part -VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (I) Subject to the provision of subrule (2), the Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16 or 17, as the case may be,

(2) Where in any year of recruitment are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made until and unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they were promoted. If appointments are made both by direct recruitment and by promotion the name shall be arranged in the order as specified in rule 17.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists prepared under sub-rule(3). If no candidate, borne on these lists, is available, he may make appointments in such

vacancies from persons eligible for appointment under these Rules. Such appointment shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these Rules, whichever be earlier.

Probation

19. (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. The probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any

(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified; and

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) The shall be determined by uttrakhand Government servant seniority rules 2002, from the date of their substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be the same as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 18.

(2) The inter se seniority of the persons appointed directly on account of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointment are made by promotion and direct recruitment or from more than one source and there is separate quota both source then their relevant seniority should be made in a combined list in a circular manner so that there should be a proportionate percentage.

Provided that :-

(1) Where appointments are made more than the prescribed quota in any source, the person appointed more than the quota will be placed lower for counting seniority in the next year or years.

(2) Where appointment from any source fall short of the are less than prescribed quota from any source and vacancies are to be filled in next year or years against the such unfilled vacancies such type of appointed person will not get seniority of a previous year but they will get in the year in which they get appointment and their name will be placed higher in the combined list prepared under this rule, the name of other persons appointed will be placed in a circular manner after that.

(3) Where the unfilled vacancies from any source can be filled from an another source in the condition or prescribed procedure mentioned under the relevant rule and procedure. And such appointment should be more than the quota, so that such type of appointment will get seniority in a manner, that it should look like as they are appointed against the vacancies.

PART VII PAY etc.

Scale of pay

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of various categories of post at the time of the commencement of these Rules given in Appendix 'B'.

Pay during probation

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

R

Regulation of other matters

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules, applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving.

27. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By Order



(Dr Umakant Panwar)

**Principal Secretary, Home
Uttarakhand, Dehradun.**

APPENDIX 'A'
[See Rule 4(2)]
The number of posts under the
Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service

Sl.No	Designation of the post	No of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Assistant Deputy Controller, Civil Defence, (Senior Scale)	1	-	1
2.	Assistant Deputy Controller, Civil Defence	3	-	3
3.	Store Superintendent	1	-	1
4.	Wireless Operator	1	-	1

APPENDIX 'B'
[See Rule 22(2)]

	Name of post	Scales of pay (in Rupees)	Grade pay
1.	Assistant Deputy Controller, Civil Defence, Senior Scale	9300-34800/-	4200/-
2.	Assistant Deputy Controller, Civil Defence	5200-20200/-	2800/-
3.	Store Superintendent	5200-20200/-	2400/-
4.	Wireless Operator	5200-20200/-	2000/-

By Order

(Dr Umakant Panwar)
Principal Secretary, Home
Uttarakhand, Dehradun.

acquiring Indian Citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must have the following qualification:-

Academic Qualifications.

Post	Qualification
Assistant Deputy Controller, Civil Defence (General Category)	Graduated from a University established by Law in India or a degree recognized as equivalent by the government received.
Wireless Operator	Must have passed Intermediate examination from Uttarakhand Intermediate education board, uttarpradesh Intermediate education board, or equivalent examination along with Electronic Diploma or Wireless Diploma from ITI.

Essential/Desirable qualifications

9. The candidates for direct recruitment outside the purview of the state Public Service Commission Group C to recruit essential / desirable qualifications Rules, 2010, according to the mandatory / desirable qualifications and holds a candidate registered in Uttarakhand any employment office.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on January, 1 of the year in which the recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January, 1 to June 30 and on July, 1 if the posts are advertised during the period from July, 1 to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government, from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note - A person dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living, or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, exempt any person from the operation of this rule, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. (1) No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he/she is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the Rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III : Provided that a Medical Certificate of Fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

(2) Physical standard should be as follows :-

भाग तीन-भर्ती**भर्ती का स्रोत**

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(1) सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (वरिष्ठ वेतनमान) "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा (साधारण श्रेणी), में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।

(2) सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (साधारण श्रेणी)

(क) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 25 प्रतिशत पदों पर "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टोर अधीक्षक तथा 25 प्रतिशत पदों पर वायरलेस ऑपरेटर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।

(3) स्टोर अधीक्षक

"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी स्टोरमैन में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।

(4) वायरलेस ऑपरेटर

शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हताएं**राष्ट्रीयता**

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यामांर (पूर्ववर्ती बर्मा) श्रीलंका (पूर्ववती सीलोन) या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यताएं

8 (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता हो :-

सहायक उप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
नियन्त्रक, नागरिक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त
सुरक्षा हो।
(साधारण श्रेणी) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की
वायरलेस ऑपरेटर इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा
उत्तीर्ण तथा आई0टी0आई0 से इलैक्ट्रॉनिक डिप्लोमा अथवा वायरलेस में
डिप्लोमा।

अनिवार्य/वांछनीय
अर्हता

अधिमानी अर्हतायें

आयु

चरित्र

वैवाहिक प्रारिथिति

शारीरिक स्वस्थता

(2) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के अनुसार अनिवार्य/वांछनीय अर्हता रखता हो तथा अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी रही हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13 (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनाये गये स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी का शारीरिक स्तर निम्नलिखित होना चाहिए:-

1-

पुरुष अभ्यर्थी

	पर्वतीय क्षेत्र से0मी0	अनुसूचित जनजाति से0मी0	अन्य अभ्यर्थी से0मी0
(1) ऊंचाई	160	157.5	165
(2) सीना (बिना फुलाये)	76.3	76.3	78.8
सीना (फुलाने पर)	81.3	81.3	83.8
2 महिला अभ्यर्थी			
(1) ऊंचाई	147	147	152

भाग पांच — भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों
का
अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करेगा।

सीधी
भर्ती की
प्रक्रिया

15. उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अनुसार की जायेगी तथा इन पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति
द्वारा भर्ती
की प्रक्रिया

16 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र बाहर के पदों के लिये) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- (i) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष
(ii) अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी — सदस्य
(iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धित पद के परिप्रेक्ष्य की हैसियत रखते हैं — सदस्य

(2) (i) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2008 के अनुसार तैयार करेगा और अभ्यर्थियों के चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति को भेजेगा।

(ii) चयन समिति उपनियम (2) निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी।

(iii) चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त
चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग — छ: नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (3) में उल्लिखित सूचियों से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

परिवीक्षा

19. (1) किसी पद पर किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा तब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में

दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,
- (ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,
- (ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,
- (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
- (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्ति किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम-18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथार्थि, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाय और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, क्रमानुक्रम में उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु यह कि—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायेगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी

R

कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम चकानुकम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां किसी स्रोत से भरी न गयी रिक्तियां सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में नियम या विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और कोटा से अधिक इस प्रकार नियुक्तियों की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो।

भाग सात—वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।


भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 26. जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाया अपेक्षित हो।

आज्ञा से

 (डॉ० उमाकांत पंवार)
 प्रमुख सचिव, गृह
 उत्तराखण्ड शासन।


परिशिष्ट "क"
[नियम 4(2) देखिये]

उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा सेवा की सदस्य संख्या

	पदों की संख्या		योग
	स्थायी	अस्थायी	
1-सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, (वरिष्ठ वेतनमान)	1	—	1
2-सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा	3	—	3
3-स्टोर अधीक्षक	1	—	1
4-वायरलेस ऑपरेटर	1	—	1

परिशिष्ट "ख"
[नियम 22(2) देखिये]

	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड पे
(1)	सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	9300-34800 /—	4200 /—
(2)	सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (साधारण वेतनमान)	5200-20200 /—	2800 /—
(3)	स्टोर अधीक्षक	5200-20200 /—	2400 /—
(4)	वायरलेस ऑपरेटर	5200-20200 /—	2000 /—

आज्ञा से

(डॉ० उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तराखण्ड शासन।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of 'the constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. -----/----- Dated: for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION-5
No.//76/xx(5)/16-06(C.D)/2008
Dehradun. Dated. 22 December, 2016
NOTIFICATION
miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service.

THE UTTARAKHAND CIVIL DEFENCE
SUBORDINATE SERVICE RULES, 2016

PART I General

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Short title and commencement | 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service Rules, 2016.
(2) It shall come into force at once. |
| Status of the Service. | 2. The Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service comprises Group "C" posts. |
| Definitions | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Appointing Authority" means the Director, Civil Defence specified in Appendix 'B';
(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part -II of the Constitution;
(c) Constitution means the Constitution of India.
(d) "Commission" means subordinate service selection commission.
(e) "Government" means the Government of Uttarakhand;
(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
(h) "Service" means the Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service;
(i) "Substantive appointment" means an appointment, not being an <i>ad hoc</i> appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there with no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year. |

PART II Cadre

- | | |
|-------------------------|--|
| Cadre of service | 4. (1) The strength of the Service and each Category of post there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The strength of the Service and each Category of post there in shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), shall be the same as shown in Appendix 'A' |
|-------------------------|--|

Provided that -

- | | |
|-----|---|
| (a) | the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in |
|-----|---|

R

- abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
- (b) the Governor may create such additional, temporary or permanent posts as he may consider proper.

PART III Recruitment.

- Source of recruitment** 5- Recruitment to various categories of the posts in the Service shall be made from the following sources :-
1. Assistant Deputy Controller, Civil Defence (Senior Scale of pay) (Gazetted) By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Assistant Deputy Controller, Civil Defence (General Category) who have completed at least five year service as such on the first day of the year of recruitment through a departmental selection committee.
 2. Assistant Deputy Controller, Civil Defence (General Category) (a) 50 Percent by direct recruitment, (b) 25 Percent post by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Store Superintendents and 25 Percent post wireless operator who have completed at least 8 year service as such on the first day of the year of recruitment through a departmental selection committee.
 3. Store Superintendent By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed store man who have completed at least 08 year service as such on the first day of the year of recruitment through a departmental selection committee.
 4. Wireless Operator 100 Percent by direct recruitment
- Reservation** 6. Reservation for the candidate, belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes of uttarakhand state shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV – QUALIFICATIONS

- Nationality** 7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:
- (a) a Citizen of India ; or
 - (b) a Tibetan refugee who came to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or
 - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :
- Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.
- Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :
- Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his